



## न्यायालय राजस्व मण्डल, गवालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2010 (पुनरीक्षण) → ₹ 692 - III/10

1. आबिद अंली पुत्र युनुस अली आयु 31 वर्ष जाति मुसलमान निवासी— बड़ा इमामबाड़ा, श्योपुर जिला श्योपुरी (म.प्र.)
2. रशीद कुर्रेशी पुत्र बसरू कुर्रेशी आयु—31 वर्ष जाति मुसलमान निवासी— करबला रोड, श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र बजरंग लाल मीणा निवासी— ग्राम जैदा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
2. मु. बाली बेवा बाबूलाल वर्तमान में पत्नि बद्रीलाल बैरबा आयु—41 वर्ष निवासी— नारायणपुरा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
3. मु. राजन्ती पुत्री बाबूलाल आयु—24 वर्ष, जाति बैरबा निवासी— ग्राम जैदा तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

.....रिस्पोन्डेन्ट्स

वर्तमान पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत माननीय न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक

98/2009-09 अपील में दिनांक 16.4.2010 को पारित आदेश के विरुद्ध की गई है जिसमें माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/2006-07 अपील में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। माननीय न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग,

श्री एच. के. गोयल एवं एक्ट  
द्वारा बाबू दिनांक 18-5-10 को प्रस्तुत ।  
अवर श्योपुर 18-5-10  
प्राप्त अवर श्योपुर  
राजस्व मण्डल म० प्र० गवालियर

18/5/2010

✓

R. 692 - III/10

७०४१-२३१४८

C.F. 29.5.1)

आवेदन एवं अनुदान

29.5.1)

यदि ये वी अनुपर्याप्त हो अतः  
लाइ. आवाज लगानी या प्रकार की  
उप. गठी। तथा: अनुपर्याप्त अनुपर्याप्त  
मी. लगानी या अनुपर्याप्त की से लगानी दिया  
गया हो यो वास्तविक हो दिया हो।

[क. प. र.]

M

महाराष्ट्र राज्य  
प्रशासनिक बोर्ड नियमित

महाराष्ट्र राज्य विधायिका

महाराष्ट्र राज्य